# न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

## पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 26/2024
जीसीएमएस नं. : 2024/97

**प्रार्थी :–**

सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी,
जिला रसद कार्यालय, बॉसवाडा

**बनाम**

**अप्रार्थी :–**

श्री हसमुख बामनिया/ तौलाराम, प्रोपराईटर सांवरिया मिष्ठान भण्डार, सेनावासा, जिला बांसवाडा (राजस्थान)

**उपस्थित**

–विभागीय प्रतिनिधि

श्री महेन्द्र सिंह अधिवक्ता

## निर्णय

### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

**दिनांक :– 08–01–2025**

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो के दुरुपयोग/ अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध दिनांक 17.09.2024 से 27.09.2024 तक चलाए गए सघन अभियान के तहत दिनांक 26.09.2024 को सेनावासा स्थित सांवरिया मिष्ठान भण्डार, सेनावासा की जांच उसके प्रोपराईटर श्री हंसमुख बामनिया की उपस्थिति में श्री धर्मेन्द्र कुमार रोत प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुनिल कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, श्री विनोद कुमार पाटीदार प्रवर्तन निरीक्षक, द्वारा की गई। मौके पर 2 घरेलु सिलेण्डर फर्म पर भण्डारण करना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डरो का विवरण निम्नानुसार है–

| क्र. स. | नाम ऑयल कम्पनी | सिलेंडर का एस. आर. नम्बर | कुल वजन किग्रा. में | खाली सिलेण्डर वजन | गैस का वजन |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ईण्डेन गैस | 515861 S | 19.400 | 15.400 | 4.000 |
| 2 | ईण्डेन गैस | 544179 S | 16.100 | 16.100 | 0.000 |

श्री हंसमुख बामनिया द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डरो के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नही दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 02 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग

Signature Not Verified
Digitally signed by Indrajeet Yadav
Date: 2025.03.25
Reason: SelfAttest

हेतु भण्डारण करना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लघंन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 02 घरेलु गैस सिलेण्डर को जब्त किया जाकर त्रिपुरा गैस एजेन्सी, बांसवाडा के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अनिल अहारी/ देवीलाल अहारी को सुपुर्दगी में दिया गया।

इस प्रकार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर मौके से उपरोक्तानुसार जप्त 02 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थी अनुपस्थित रहा। दिनांक 29.11.2024 को श्री गोविन्द/ मोहनदास वैष्णव ने उपस्थित होकर बताया कि वह सांवरिया मिष्ठान भण्डार के प्रापराईटर है, हंसमुख बामनिया जिनके नाम से यह प्रकरण तैयार किया गया है वह प्रतिष्ठान में नौकर के रुप में कार्यरत था वर्तमान में वह दुकान छोडकर चला गया है। अपनी ओर से श्री महेन्द्र सिंह राठौड अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र एवं जवाब पेश किया। प्रस्तुत जवाब में उल्लेख किया कि उक्त गैस सिलेण्डरो को दुकान में काम करने वाले कर्मचारी ने गलती से दुकान के आगे रख दिये थे, जिस कारण प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जब्त किया गया है। प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से घरेलु गैस सिलेण्डरो का कोई दुरुपयोग नही किया है और किसी भी प्रकार का कोई अवैध करोबार नही किया है। इस हेतु प्रार्थी के विरुद्ध अपनाई गई कार्यवाही को निरस्त कर जप्तशुदा 2 घरेलु गैस सिलेण्डर दिलाये जाने के आदेश प्रदान करे।

दिनांक 08.01.2025 को श्री गोविन्द/ मोहनदास वैष्णव फर्म मालिक के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर अपने जवाब में प्रस्तुत बिन्दुओ को ही अपनी ओर से बहस मानकर प्रकरण में जप्तशुदा सिलेण्डरो को सुपूर्द करने तथा प्रार्थी को उक्त प्रकरण से उन्मोचित करने निवेदन किया।

प्रार्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि दिनांक 26.09.2024 को सेनावासा स्थित सांवरिया मिष्ठान भण्डार, सेनावासा की जांच श्री हंसमुख बामनिया जिसने तत्समय अपने आप को प्रतिष्ठान का प्रोपराईटर बताया था कि उपस्थिति में श्री धर्मेन्द्र कुमार रोत प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुनिल कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, श्री विनोद कुमार पाटीदार प्रवर्तन निरीक्षक, द्वारा की गई। मौके पर 2 घरेलु सिलेण्डर फर्म पर भण्डारण करना पाया गया। श्री हंसमुख बामनिया द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डरो के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नही दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.03.25 11:49:51 IST
Reason: SelfAttested

व्यवसायिक स्थान पर 02 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लघंन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 02 घरेलु गैस सिलेण्डर को जब्त किया जाकर त्रिपुरा गैस एजेन्सी, बांसवाडा के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अनिल अहारी/ देवीलाल अहारी को सुपुर्दगी में दिया गया। दिनांक 29.11.2024 को गोविन्द पिता मोहनदास वैष्णव द्वारा श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किये गए नोटिस के जवाब में स्वयं प्रोपराईटर होना व हंसमुख बामनिया नौकर होना बताया है। परन्तु इससे घरेलु गैस सिलेण्डरो का दुरुपयोग नही होने की बात साबित नही होती है। श्री गोविन्द के प्रोपराईटर होने के स्थिति मे वह घरेलु गैस सिलेण्डरो का व्यवसायिक उपयोग करने का दोषी है। विभागीय प्रतिनिधि ने जिला रसद अधिकारी बांसवाडा का पत्र इसके समर्थन में पेश किया, तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार कर उपरोक्तानुसार जप्त 02 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। श्री गोविन्द/ मोहनदास वैष्णव ने दिनांक 29.11.2024 को जवाब पेश कर अवगत कराया है कि वह सांवरिया मिष्ठान भण्डार के मालिक है। कार्यवाही के दौरान उपरोक्तानुसार व्यवसायिक स्थान पर 02 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया है। पत्रावली के संलग्न फर्द मौका एवं जब्ती पर तत्समय उपस्थित प्रतिष्ठान में कार्यरत अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। इस प्रकार व्यवसायिक फर्म सांवरिया मिष्ठान भण्डार, सेनावासा जिला बांसवाडा पर घरेलु गैस का उपयोग किया जाना व भंडारण किया जाना प्रमाणित है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार जब्त शुदा 02 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा उक्त गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 08–01–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.03.25 11:49:51 IST
Reason: SelfAttested